रेल दावा अधिकरण

पटना पीठ, पटना

वाद संख्या– OA(IIu)/PNBE/145/2019

पीठासीनः श्री वीरेन्द्र कुमार गोयल, माननीय सदस्य (न्यायिक), रेल दावा अधिकरण, भुवनेश्वर, सर्किट बेन्च, पटना

संस्थन की तिथिः 19.06.2019

निर्णय की तिथिः 25.10.2024

रानी देवी एवं अन्य
सभी निवासी ग्राम/मो0–जय प्रकाश नगर,
थाना–जक्कनपुर, जिला–पटना
बिहार, पिन– 800001. .... याचीगण

बनाम

भारत संघ द्वारा महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर .... उत्तरदाता

दावा राशि ₹8,00,000/– मय ब्याज

उपस्थितिः
याचीगण की ओर से– श्री रवि रंजन कुमार, विद्वान अधिवक्ता–उपस्थित।
उत्तरदाता की ओर से–श्री आलोक कुमार, विद्वान अधिवक्ता–उपस्थित।

निर्णय

श्री वीरेन्द्र कुमार गोयल, माननीय सदस्य (न्यायिक):

1. याचीगण रानी देवी एवं अन्य ने यह याचिका रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा–16 के अन्तर्गत हर्ख शर्मा उर्फ हर्ष शर्मा की रेल दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के परिणामस्वरूप उन पर अपनी आश्रितता के आधार पर भारत संघ (द्वारा महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर) के विरूद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में ₹8,00,000/– एवं उस पर 12 प्रतिशत ब्याज दिये जाने की याचना के साथ प्रस्तुत की है।

2. याचीगण के अभिकथन के अनुसार दिनांक 29.03.2018 को मृतक हर्ख शर्मा उर्फ हर्ष शर्मा अपने रिश्तेदार के समक्ष तारेगना स्टेशन से पटना जं0 का वैध द्वितीय श्रेणी टिकट खरीदकर किसी पैसेन्जर ट्रेन में तारेगना स्टेशन पर पटना जं0 जाने के लिए सवार हुआ। ट्रेन में अत्यधिक भीड़ थी जिसके कारण मृतक ट्रेन के डिब्बे के अन्दर दरवाजा पर खड़ा होकर यात्रा कर रहा था। यात्रा के दौरान यात्रियों की धक्का मुक्की के कारण मृतक कि0मी0/पोल सं0 2/6 के पास रामगोविन्द पथ के सामने (सिपारा पुल के उत्तर) चलती ट्रेन से गिर गया। इस दुर्घटना में आयी चोटों के कारण मृतक की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गयी। मृतक की पत्नी के आवेदन के आधार पर रेल पी0एस0 पटना जं0 में यु0डी0 केस सं0 26/18 दिनांक 29.03.2018 दर्ज किया गया। इस दुर्घटना में यात्रा टिकट खो गया।

3. उत्तरदाता द्वारा लिखित कथन प्रस्तुत करते हुए यायीगण के उपरोक्त अभिकथन से पूर्णतः इन्कार किया गया और याचिका का इस आधार पर विरोध किया गया कि दावा आवेदन कानूनी रूप से एवं तथ्यों पर पोषणीय नहीं है। आवेदक को विपक्षी के विरुद्ध यह वाद दाखिल करने का कोई कारण नहीं है। दावा आवेदन में मनगढन्त एवं बनावटी कहानी बनायी गयी है, विपक्षी द्वारा उसे अस्वीकार किया गया है। यह अनधिकृत रूप से रेलवे ट्रैक पार करने/रन ओवर हो जाने का मामला है क्योंकि मृत्यु

समीक्षा रिपोर्ट एवं फाइनल रिपोर्ट के अनुसार यात्रा टिकट बरामद नहीं हुआ है। टिकट प्राप्त होने का कोई उल्लेख नहीं है। स्टेशन मेमो यह दर्शाता है कि रामगोविन्द पथ के सामने स्वयं की गलती एवं लापरवाही से किसी चलती ट्रेन से रन ओवर हो जाने से मृतक की मृत्यु हुई है। आवेदक का दावा मुआवजा के योग्य नहीं है। आवेदकगण मुआवजा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। अतः याचीगण की याचिका निरस्त किये जाने योग्य है।

वाद बिन्दु

4. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर इस याचिका के निर्णय के लिए न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 13.02.2020 को निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये।

(1) क्या मृतक किसी अज्ञात गाड़ी संख्या का एक सदभावी यात्री था?

(2) क्या मृतक की मृत्यु रेल अधिनियम 1989 की धारा 123(c) की परिधि के अन्तर्गत अनपेक्षित घटना में हुई थी?

(3) क्या आवेदिका/आश्रितगण मृतक के आश्रित हैं?

(4) क्या आवेदिका/आश्रितगण प्रतिकर की धनराशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं और यदि हाँ तो कितना?

5. याचीगण की ओर से अपने अभिकथन के समर्थन में रानी देवी का शपथपत्र ए0डब्लू01 के रूप में एवं संजय कुमार शर्मा का शपथपत्र ए0डब्लू0 2 के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

6. प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में याचीगण की ओर से मेमो, रेल थाना पटना जं0 को दिया गया आवेदन, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट, एफ आई आर, डेडबॉडी चालान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट, शव प्राप्ति रसीद, पारिवारिक सदस्यता सूची, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी है।

7. उत्तरदाता की ओर से अपने अभिकथन के समर्थन में डी आर एम रिपोर्ट की मूल प्रति प्रस्तुत की गयी है।

8. याचीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री रवि रंजन कुमार एवं उत्तरदाता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आलोक कुमार द्वारा बहस की गयी।

9. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक् अवलोकन व परिशीलन किया गया।

विनिश्चय

वाद बिन्दु संख्या 01 एवं 02

दोनों वाद–बिन्दु एक दूसरे से सम्बन्धित हैं। अतः उनका एक साथ निस्तारण किया जा रहा है।

10. याचीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस किया गया है कि दिनांक 29.03.2018 को मृतक हर्ख शर्मा उर्फ हर्ष शर्मा अपने रिश्तेदार के समक्ष तारेगना स्टेशन से पटना जं0 का वैध द्वितीय श्रेणी टिकट खरीदकर किसी पैसेन्जर ट्रेन में तारेगना स्टेशन पर पटना जं0 जाने के लिए सवार हुआ। ट्रेन में अत्यधिक भीड़ थी जिसके कारण मृतक ट्रेन के डिब्बे के अन्दर दरवाजा पर खड़ा होकर यात्रा कर रहा था। यात्रा के दौरान यात्रियों की धक्का मुक्की के कारण मृतक कि0मी0/पोल सं0 2/6 के पास रामगोविन्द पथ के सामने (सिपारा पुल के उत्तर) चलती ट्रेन से गिर गया। इस दुर्घटना में आयी चोटों के कारण मृतक की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गया। इस दुर्घटना में यात्रा टिकट खो गया।

11. उत्तरदाता की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस किया गया है कि मृतक के पास यदि यात्रा टिकट होता तो वह मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार करते समय अवश्य प्राप्त होता। संबंधित स्टेशन मेमो में ट्रेन से गिरने की बात नहीं आयी है बल्कि यह कहा गया है कि रेलवे पटरी के पास एक अनजान व्यक्ति का शव पड़ा है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि यह रन ओवर का मामला है। पुलिस फाइनल रिपोर्ट में भी टिकट प्राप्त होने का उल्लेख नहीं है। मृतक सदभावी यात्री नहीं था एवं उसकी मृत्यु अनपेक्षित

घटना में नहीं हुई थी। याचीगण द्वारा सिर्फ गैरकानूनी ढग से मुआवजा प्राप्त करने के लिए मनगढन्त तथ्यों पर दावा आवेदन दाखिल किया गया है। अतः याचीगण की याचिका निरस्त किये जाने योग्य है।

12. पत्रावली पर उपलब्ध स्टेशन मेमो के अनुसार,

किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा सूचना मिला कि रामगोविन्द सिंह पथ के ठीक सामने रेलवे पटरी के पास सिपारा पुल के उत्तर पोल सं0 2/6 पर एक अनजान व्यक्ति का शव पड़ा है। उचित कार्रवाई हेतु मेमो प्रेषित।

13. मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में यात्रा टिकट प्राप्त होने का उल्लेख नहीं है। इसमें मृत्यु का कारण, किसी चलती ट्रेन से गिरने एवं गंभीर रूप से कटने से मृत्यु होना दर्शाया गया है।

14. साक्षी रानी देवी, ए0डब्लू0 1 ने अपने शपथपत्र की पैरा 3 में यह कथन की है–

That on 29.03.2018 after purchasing and having a valid second class ordinary train ticket in presence of my brother namely Sanjay Kumar Sharma boarded in some passenger train at Taregana station for coming to Patna Junction.

15. साक्षी संजय कुमार शर्मा, ए0डब्लू0 2 ने अपने शपथपत्र की पैरा 4 में कहा है–

यह कि तारेगना स्टेशन पहुंचने के पश्चात मेरे सामने मेरे बहनोई हरख शर्मा @हर्ष शर्मा ने तारेगना स्टेशन से पटना जंक्शन का वैध साधारण यात्रा टिकट खरीदे।

16. कथित घटना के उपरांत दिनांक 29.03.2018 को मृतक की पत्नी, रानी देवी ने रेल थाना पटना जं0 को आवेदन दी है जिसमें उसने स्पष्ट कहा है–....*मेरे पति हरख शर्मा आज दिनांक 29.03.18 को तारेगना स्टेशन से पटना जं0 का रेलवे टिकट कटाकर*

पैसेंजर ट्रेन से पटना आ रहे थे। यात्रा के क्रम में मेरे पति ट्रेन में भीड़–भाड़ रहने के कारण चलती ट्रेन से गिर कर गंभीर रूप से कटने के कारण घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई।

रानी देवी के उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट है कि मृतक टिकट लेकर यात्रा कर रहा था।

17. रेल के सद्भावी यात्री के सम्बंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम रीना देवी, अपील संख्या 4945 ऑफ 2018 निर्णित दिनांक 09.03.2018 में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है:

".......mere presence of body on the railway premises will not be conclusive to held that injured or deceased was a bonafide passenger for which claim for compensation could be maintained. However, mere absence of ticket with such injured or deceased will not negative the claim that he was a bonafide passenger. Initial burden will be on the claimant which can be discharged by filing an affidavit of the relevant facts and burden will be then shift on the Railways and the issue can be decided on the facts shown or the attending circumstances. This will have to be dealt with from case to case on the basis of facts found. The legal position in this regard will stand explained accordingly."

अतः यह जिम्मेदारी याचीगण की है कि वे प्रथमतः अपने दावे को सिद्ध करें और इसके लिए वे शपथपत्र के साथ सुसंगत साक्ष्य प्रस्तुत करें। प्रस्तुत मामले में याची पक्ष द्वारा शपथपत्र के माध्यम से एवं साक्षी संजय कुमार शर्मा, ए0डब्लू0 2 को टिकट के साक्षी के रूप में न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया है जिससे याचीगण ने अपनी प्रथम जिम्मेवारी पूरी की है। इसके उपरांत प्रतिवादी की यह जिम्मेवारी थी कि वे सुसंगत साक्ष्य प्रस्तुत कर अपनी जिम्मेवारी पूरी करते लेकिन प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

18. पत्रावली पर उपलब्ध पुलिस फाइनल रिपोर्ट में यात्रा टिकट का कोई उल्लेख नहीं है, परन्तु फाइनल रिपोर्ट में यह कहा गया कि– *मृतक हरख शर्मा पे० स्व० बद्री नाथ शर्मा मो० जयप्रकाश नगर थाना जक्कनपुर जिला पटना की मृत्यु यात्रा के क्रम में पैसेन्जर ट्रेन से गिर कर कट कर गंभीर जख्मी होने के कारण मृत्यु होना अंतिम प्रतिवेदन सं० 26/18 दि० 30.03.18 समर्पित किया जाता है।*

इस प्रकार इस रिपोर्ट के अवलोकन से ट्रेन से यात्रा के क्रम में गिरने से मृतक की मृत्यु होना स्पष्ट होता है।

19. पत्रावली पर उपलब्ध पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार:

Abrasions (Red)-There was multiple abrasions all over the body ranging from 10x6 cm to 3x2 cm.

Internal- cranial cavity was exposed with crush injury. there were fracture of cranial and facial bone. Cranial cavity contain lacerated brain parenchying with blood and blood clots. The body was divided into two parts through lower abdomen 14 cm below xyphoid process by the crush lacerated wound at the level of L4-L5 vertebra. The abdominal viscera was lacerated with blood and blood clots.

Opinion- (1) Death was due to above mentioned injuries (2) Caused by hard and blunt force impact (3)Time elapsed since death was within 24:00 hours (app.) from the time of PM examination.

20. पत्रावली पर उपलब्ध डी आर एम रिपोर्ट के अनुसार–

जांच में पाये गये साक्ष्यों, गवाहों के बयान तथा परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर यह तथ्य स्पष्ट होता है कि मृतक हरख शर्मा उम्र करीब 45 वर्ष पे० बद्रीनाथ ग्रा० जयप्रकाश नगर, थाना जक्कनपुर, जिला पटना जो किसी ट्रेन से यात्रा नहीं कर रहा था और न ही उसके पास कोई रेल यात्रा टिकट पाया गया। घटित घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं है। मृतक की मृत्यु अनाधिकृत रूप से घटनास्थल पर ट्रैक पार

करने के क्रम में किसी चलती गाड़ी के चपेट में आने से हुई है। अतः उपरोक्त परिस्थिति में रेल प्रशासन की कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है। घटना रेल अधिनियम की धारा 123 की उप धारा (ग) में परिभाषित अनापेक्षित घटना में वर्णित परिस्थितियों में घटित नहीं हुई है।

21. Union of India Vs. Prabhakaran Vijaya Kumar (2008) 9 SCC 527 मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि

"if we adopt a restrictive meaning to the expression "accidental falling of a passenger from a train carrying passengers" in Section 123(c) of the Railways Act, we will be depriving a large number of railway passengers from getting compensation in railway accidents. It is well known that in our country there are crores of people who travel by railway trains since everybody cannot afford travelling by air or in a private car. By giving a restrictive and narrow meaning to the expression we will be depriving a large number of victims of train accidents (particularly poor and middle class people) from getting compensation under the Railways Act. Hence, in our opinion, the expression "accidental falling of a passenger from a train carrying passengers" includes accidents when a bona fide passenger i.e. a passenger travelling with a valid ticket or pass is trying to enter into a railway train and falls down during the process. In other words, a purposive and not literal interpretation should be given to the expression."

22. रीना देवी के निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय के संदर्भित निदेशानुसार याची पक्ष को टिकट से संबंधित सुसंगत तथ्य प्रस्तुत करने थे जिससे प्रथमदृष्टतया मृतक के सदभावी यात्री होने का दावा सिद्ध हो सके। प्रस्तुत वाद में साक्षी AW-2 ने अपने शपथपत्रीय साक्ष्य एवं प्रतिपरीक्षण के माध्यम से यह साबित किया है कि मृतक उसके समक्ष टिकट खरीदा था जिससे यह साबित होता है कि घटना के समय मृतक के पास यात्रा टिकट था। इस प्रकार यह साबित होता है कि मृतक घटना के समय सदभावी यात्री था।

23. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं विधिक सिद्धान्तों का सम्यक् अवलोकन एवं परिशीलन के उपरान्त प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस में कोई बल नहीं है तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से यह तथ्य पूर्णरूपेण साबित होता है कि घटना के समय मृतक ट्रेन का सद्भावी यात्री था एवं मृतक की मृत्यु अनपेक्षित घटना की परिभाषा में आती है। अतः वाद बिन्दु 1 एवं 2 तद्नुसार सकारात्मक रूप से याचीगण के पक्ष में विनिश्चित किये जाते हैं।

वाद बिन्दु संख्या 03

24. विचारणीय है कि मृतक के आश्रित कौन-कौन हैं? याचीगण द्वारा पार्षद, वार्ड सं0 17, पटना नगर निगम द्वारा जारी पारिवारिक सदस्यता प्रमाणपत्र दाखिल किया गया है जिसके अनुसार रानी देवी (मृतक की पत्नी), मोना शर्मा (मृतक की पुत्री), खुशी शर्मा (मृतक की पुत्री), स्वीटी कुमारी (मृतक की पुत्री) एवं बंश राज (मृतक का पुत्र), मृतक के पारिवारिक सदस्य हैं। यह साक्ष्य अखण्डित है जिससे आश्रितता से सम्बन्धित याचीगण का कथन मेरे मत में पूर्णतः सिद्ध है। अतः मेरे मत में रानी देवी (मृतक की पत्नी), मोना शर्मा (मृतक की पुत्री), खुशी शर्मा (मृतक की पुत्री), स्वीटी कुमारी (मृतक की पुत्री) एवं बंश राज (मृतक का पुत्र), ही रेलवे अधिनियम की धारा 123 (बी) में विहित प्रावधानों के प्रकाश में मृतक के आश्रित की परिधि में आते हैं और क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः यह वाद बिन्दु भी तद्नुसार याचीगण के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है।

वाद बिन्दु संख्या 04

25. यह वाद बिन्दु उपशम (compensation) की राशि से सम्बंधित है। रेल दुर्घटना एवं अनपेक्षित घटना नियमावली 1990 जिसे भारत सरकार के असाधारण राजपत्र संख्या 877 दिनांक 22.12.2016 द्वारा संशोधित करते हुए दिनांक 01.01.2017 से प्रभावित किया गया है, की प्रथम अनुसूची के प्रथम भाग में दी गयी व्यवस्था के अनुसार दुर्घटना में मृत व्यक्ति के आश्रितों को क्षतिपूर्ति के रूप में ₹8,00,000/– (आठ लाख रूपये मात्र) का भुगतान किये जाने की व्यवस्था है। अतः याचीगण प्रतिकर के रूप में ₹8,00,000/– (आठ लाख रूपये मात्र) एवं उस पर 6 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज पंजीकरण की तिथि से निर्णय की तिथि तक, प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

आदेश

26. याचीगण का आवेदन पत्र कुल ₹8,00,000/– (आठ लाख रूपये मात्र) एवं उस पर 6 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज पंजीकरण की तिथि से निर्णय की तिथि तक, के लिए अधिनिर्णित किया जाता है तदनुसार याचीगण की याचिका स्वीकार की जाती है। प्रतिवादी रेलवे निर्णीत धनराशि निम्नलिखित अनुसार अदा करेंगेः–

क्रम सं0	लाभार्थी का नाम	मृतक से संबंध	उम्र (वर्षों में)	एवार्ड की गयी धनराशि (₹)	पार्टी के खाते में भुगतान की जाने वाली राशि (₹)	राशि जो सावधि जमा खाता में तीन वर्षों के लिए जमा की जानी है (₹)
1.	रानी देवी	पत्नी	48	₹4,00,000	₹50,000	₹3,50,000
2.	मोना शर्मा	पुत्री	21	₹1,00,000	₹10,000	₹90,000
3.	खुशी शर्मा	पुत्री	20	₹1,00,000	₹10,000	₹90,000
4.	स्वीटी कुमारी	पुत्री	18	₹1,00,000	₹10,000	₹90,000
5.	बंश राज उर्फ वंशराज राज	अवयस्क पुत्र	09	₹1,00,000	शून्य	₹1,00,000*

नोटः– * बंश राज उर्फ वंशराज राज (मृतक का अवयस्क पुत्र) के हिस्से की पूरी राशि उसके वयस्क होने तक या तीन वर्ष के लिए, जो भी बाद में हो, सावधि जमा में रखा जाएगा।

बंश राज उर्फ वंशराज राज (मृतक का अवयस्क पुत्र) का अंश उनकी माता रानी देवी के संरक्षण में खोले गए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा योजना में, उनके स्थायी निवास स्थान के निकटतम, उसके वयस्क होने या तीन वर्ष के लिए, जो भी बाद में आये, की अवधि के लिए जमा किया जाएगा। उनकी माता अपने अवयस्क पुत्र के भरण–पोषण/रखरखाव के लिए नियमित अंतराल पर सावधि जमा पर ब्याज प्राप्त करने की हकदार होंगी। संचित ब्याज, यदि कोई हो, मूल राशि के साथ परिपक्वता की तारीख को बिना किसी निर्देश के उपयोग के लिए भुगतान किया जाएगा।

27 (a) प्रतिवादी रेलवे को निर्देशित किया जाता है कि निर्णित प्रतिकर की धनराशि ₹8,00,000/– (आठ लाख रूपये मात्र) एवं उस पर 6 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज पंजीकरण की तिथि से निर्णय की तिथि तक, निर्णय की प्रति प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर अपर निबंधक, पटना के यहाँ जमा करेगा। यदि प्रतिवादी रेलवे 30 दिन के अंदर प्रतिकर धनराशि नहीं जमा करता है तो निर्णय की तिथि से प्रतिकर जमा करने की तिथि तक 9 प्रतिशत मय साधारण ब्याज प्रतिकर धनराशि जमा करेगा। अपर निबंधक पटना एवार्ड की धनराशि याचीगण द्वारा समस्त औपचारिकता पूरी करने के पश्चात 90 दिन के अंदर भुगतान करे।

(b) याचीगण को एवार्ड की गयी धनराशि में से कुल ₹80,000/– (अस्सी हजार रूपये मात्र) एवं प्रतिकर पर उत्पन्न सम्पूर्ण ब्याज समान अनुपात में ई.सी.एस. द्वारा उसके बचत खाते में भुगतान की जायेगी। शेष धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक में तीन वर्ष के लिए किसी सावधि जमा योजना (एफ.डी.आर.) के अन्तर्गत निवेशित की जायेगी। मूल, नियत निक्षेप बैंक द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाएंगे। तथापि, एफडीआर संख्या, एफडीआर

रकम, परिपक्वता की तारीख और परिपक्वता की रकम अंतर्विष्ट करने वाला विवरण बैंक द्वारा दावाकर्ता (दावाकर्ताओं) को प्रस्तुत किया जाएगा।

(c) याचीगण को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने निवास स्थान के निकट स्थित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में आधार से जुड़े अपने बचत बैंक खाते का विवरण इस न्यायाधिकरण के अपर निबंधक, पटना को एक माह के अंदर उपलब्ध करायें। बैंक उनके बचत बैंक खाते या सावधि जमा खाते में किसी भी संयुक्त नाम को जोड़ने की अनुमति नहीं देगा अर्थात् उनका बचत खाता एकल बचत खाता होगा, संयुक्त खाता नहीं होगा।

(d) एफ.डी.आर. की परिपक्वता राशि याचीगण के सम्बंधित बचत खाते में इलेक्ट्रानिक क्लियरिंग सिस्टम (ई.सी.एस.) द्वारा जमा की जायेगी।

(e) न्यायाधिकरण की अनुमति के बिना सावधि जमा पर कोई ऋण, अग्रिम निकासी या समय से पहले भुगतान की अनुमति नहीं होगी।

(f) सम्बंधित बैंक याचीगण को कोई चेकबुक या डेबिट कार्ड जारी नहीं करेगा। डेबिट कार्ड या चेकबुक पूर्व में ही जारी किये जाने की स्थिति में बैंक प्रतिकर की धनराशि के वितरण के पूर्व ही इसे (रद्द) कर देगा।

(g) बैंक प्रत्येक याची की पासबुक पर इस आशय का पृष्ठांकन करेगा कि कोई भी चेकबुक या डेबिट कार्ड जारी नहीं किया गया है। याचीगण विधिवत आवश्यक पृष्ठांकन के साथ बैंक मैनेजर द्वारा हस्ताक्षरित एवं मुहर लगी पासबुक न्यायाधिकरण के अपर निबंधक पटना के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही बैंक को यह निर्देश दिया जाता है कि वह याचीगण को केवल निकासी फार्म के माध्यम से अपने बचत खाते से पैसा निकालने की अनुमति देगा।

28. निर्णय की प्रति दोनों पक्षकारों को बिना किसी मूल्य के उपलब्ध करायी जाय और याचिनी को निर्णय की प्रति उसके निवास स्थान पर स्पीड पोस्ट से भेजा जाय। तत्पश्चात समस्त औपचारिकता पूरी होने के पश्चात फाइल को दाखिल दफ्तर किया जाय।

(वीरेन्द्र कुमार गोयल)
सदस्य (न्यायिक)
रेल दावा अधिकरण, भुवनेश्वर
सर्किट बेन्च, पटना
दिनांक 25.10.2024

निर्णय आज दिनांक 25.10.2024 को खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित करके सुनाया गया।

(वीरेन्द्र कुमार गोयल)
सदस्य (न्यायिक)
रेल दावा अधिकरण, भुवनेश्वर
सर्किट बेन्च, पटना
दिनांक 25.10.2024